(1)

कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

रिंकु प्रसाद सिंह बनाम् भागचन्द जैन वगैरह

विविध वाद संख्या....07......../2021-22

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदक रिंकु प्रसाद सिंह, पिता- श्री द्वारिका सिंह, साकिन- मन्दरामों, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह द्वारा मौजा- मन्दरामों, खाता नं0- 40, प्लॉट नं0- 2189 खेवट नं0 06, कुल रकबा 03.96 एकड़ में अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 1636/2005-06 एवं 1637/2005-06 में पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। चुंकि उक्त नामान्तरण अवैध तरीके से करा लिया गया है। साथ ही आवेदक द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से परिसीमा प्रतिसिम्मन अधिनियम की धारा 5 के तहत् आवेदन समर्पित कर बताया गया है जिसे स्वीकार कर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है।

अतः उभय पक्षों को नोटिस नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...5/01/2022... को रखें।

[signature] 24/12/21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बगोदर-सरिया।

पुनश्च : अंचल अधिकारी से नामांतरण अभिलेख की मांग करें।

[signature] 24/12/21

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23/4/22	<u>आदेश</u> आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा 'The Bihar Tenants' Holding (Maintenance of Records) Act, 1973 की धारा-15 के अंतर्गत लाया गया है। आवेदक के अनुसार मौजा- मँदरामो, में स्थित खाता-40, प्लाट-2109, खेवट सं०-6 अन्तर्गत खाते की जमीन है, जिसका कुल रकबा 3.96 एकड़ है। अंकारत मालिक का नाम खेमा सिंह वो बनवारी सिंह वो बनवारी सिंह वगै० का है जो उक्त खेवट के खेवटदार है। उक्त जमीन की जमाबंदी प्रथम पक्ष के ~~आवेदक~~ दर्शन पिताम्बर सिंह पिता खेमा सिंह के नाम पर ऑनलाइन पंजी-2 के भाग सं०-1, पेज सं०-365 पर दर्ज है। प्रतिवादी सं०-1 के पिता ने जाली हुकुमनामा के आधार पर दिनांक-21/01/2006 को अपने पुत्र वो भतीजा जो	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के नाम पर अलग-अलग डिक्री केवाला लिख दिये। तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरण वाद सं०- 1636/2005-06 एवं 1637/2005-06 वाद में आदेश पारित कर जमाबंदी कायम कर दी गई। अंचल अधिकारी खतियान की प्रविष्टियों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है जो खारिज करने योग्य है, साथ ही अनुरोध किया गया है कि आवेदक के नाम पर पुनः जमाबंदी चालू की जाये।

आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने पर व्यतीत अवधि को शांत करने हेतु परिसीमन अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत एक आवेदन भी दाखिल किया गया है तथा विलम्बित अवधि को शांत करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा अपने दावे के समर्थन में सरकारी लगान रसीद वर्ष 78-79 की छाया प्रति, ऑन लाईन पंजी-II की प्रति, खतियान

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

की छाया प्रति, हुकुमचन्द जैन द्वारा दिनांक 21/01/2006 को निष्पादित विक्रय पत्र की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित अभिवचन दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि को तत्कालीन जमींदार द्वारा हुकुमचन्द को हुकुमनामा के द्वारा बन्दोबस्त कर दिया गया था। हुकुमनामा के आधार जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् अंचल कार्यालय में जमाबंदी कायम हुई तथा लगातार राजस्व रसीद निर्गत होता आ रहा है। हुकुमनामा प्राप्ति के पश्चात् हुकुमचन्द जैन लगातार प्रश्नगत भूमि पर दखलकार रहे हैं तथा चहारदिवारी कर कमरे का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि का अनवरत उपयोग भी उनके द्वारा किया जाता रहा है। दिनांक 21.01.2006 को दो निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से विपक्षी

(7)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	संख्या- 1 एवं 2 के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का विक्रय कर दिया गया। उक्त विक्रय के पश्चात् विपक्षी गण नामांतरण करवा कर लगान रसीद कटवाते रहे हैं तथा दखलकार रहे हैं। प्रश्नगत वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वर्षों के बाद क्यों अचानक अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति दर्ज की गई है। आगे विपक्ष का कहना है कि प्रश्नगत अपील वाद अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के प्रति के बिना दाखिल किया गया है। साथ यह वाद 70 वर्षों के पश्चात जमाबंदी रद्द करने के लिये लाया गया है। अतः इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वर्ष 1954-55 से स्व० हुकुमचन्द जैन के नाम से जमाबंदी कायम हुई उसके उपरान्त उनके पुत्र भागचन्द जैन ~~के नाम जमाबंदी कायम हुई~~ एवं कपुरचन्द जैन के पुत्र रूपचन्द जैन के नाम जमाबंदी कायम हुई। वर्षों	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5	पूर्व कायम जमाबंदी को व्यवहार न्यायालय ही द्वारा रद्द किया जा सकता है। अतः यह अपीलवाद अस्वीकृत करने योग्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा एवं जमींदारी रसीद की छाया प्रति, पंजी-II की छाया प्रति, वर्ष 1954 से 2022 तक की सरकारी रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की दलील सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस के दौरान यह बात सामने आई कि प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयतदार होने के कारण भूमि के स्वामित्व का दावा किया जा रहा है जो न्यायालय में विचारणीय बिन्दु नहीं हो सकता है। साथ ही लम्बे समय से चल रहे जमाबंदी को भी राजस्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनेश्वर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य में (WP(C) No.	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

2900 of 2007) पारित न्यायादेश का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा —

"It has been repeatedly held that a long running Jamabandi cannot be cancelled, unless there is any such decree/order of a competent court...."

आवेदक द्वारा मूल आवेदन The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 की धारा 15 के अंतर्गत दाखिल किया गया है। धारा-15 निम्नवत है :—

"15. Appeals—(1) An appeal shall lie to the Land Reforms Deputy Collector against the order of the Anchal Adhikari passed under Sub-Section (2) of section 14, if preferred within thirty days of the date of the order appealed against."

अधिनियम की धारा 14(2) के अनुसार—

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
7 1	2	3

"(2) The Anchal Adhikari Shall issue a general notice and also give notice to the parties concerned to file objection, if any, ~~the Anchal Adhikari~~ within fifteen days of the issue of the notice. On receipt of objection, if any, the Anchal Adhikari Shall give reasonable opportunity to the parties concerned to adduce evidence, if any and of being heard and dispose of the objection and pass such orders as may be deemed necessary."

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा-15 एवं 14 को साथ-साथ पढ़ने की आवश्यकता है। धारा 14 के अन्तर्गत अंचल अधिकारी के न्यायालय में दर्ज आपत्ति के साथ ही ~~ह~~ धारा-15 में अपील लाया जा सकता है। आवेदक द्वारा अंचल-अधिकारी द्वारा धारा-14 के अन्तर्गत पारित आदेश एवं तत्पश्चात दाखिल आपत्ति

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

की प्रति अपील आवेदन के साथ दाखिल नहीं किया गया है। फलतः इस अपील पर विचार करना उचित नहीं होगा।

उक्त विवेचन के आलोक में आवेदक के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

22/4/22

LRDC.

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.04.25 17:35:32 +05:30
Location: 192.168.1.5